

Real Estate
Regulatory Authority
Madhya Pradesh

भू-संपदा
विनियामक प्राधिकरण
मध्यप्रदेश

रेरा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल दूरभाष-0755-2556760

Website:- www.rera.mp.gov.in, Email id- secretaryrera@mp.gov.in

क्रमांक 2021/II-R/A-05/F-640/ 1724

भोपाल, दिनांक 13 मई, 2022

प्रति,

तिरूपति रियलिटी,
सम्प्रवर्तक,
ए 3/2, महाकाल वाणिज्य केन्द्र
बिहाईड नानाखेड़ा बस स्टेण्ड,
उज्जैन (म०प्र०)

विषय: परियोजना- तिरूपति विस्टा पार्क, उज्जैन (REF. No. 484313354821)
के संबंध में।

- 0 -

कृपया विषयांकित आपके आवेदन का स्मरण करें।

प्राधिकरण के आदेशानुसार मुझे यह सूचित करने के निर्देश हुए हैं कि :-

" परियोजना तिरूपति विस्टा पार्क, उज्जैन का पंजीकरण सशर्त मान्य किया गया है। परियोजना को पंजीयन क्रमांक P-UJN-22-3344 आवंटित किया गया है।
परियोजना प्रमाण पत्र एवं आदेश की प्रति संलग्न है।"

कृपया उपर्युक्तानुसार सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

(नीरज दुबे)

सचिव

म०प्र० भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण

म-प्र-भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण, भोपाल
आदेश-पत्रिका

नाम- Tirupati Vista Park, Gram- Chadesra, Tehsil & District- Ujjain

प्रोजेक्ट आई डी: 484313354821

आदेश

प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

2022

प्रोजेक्ट का नाम - Tirupati Vista Park, Gram- Chadesra, Tehsil & District- Ujjain.

सम्प्रवर्तक का नाम- Tirupati Realities, Ujjain.

1-पंजीयन अधिकारी द्वारा दी गई टीप दिनांक 22.04.2022 के अनुसार औपचारिकताएं पूर्ण हैं। आवेदन के अभिलेखों के अवलोकन से पाया गया कि आवेदन के समय बैंक अकाउंट नहीं खोला गया था अतः अकाउंट के नाम, बैंक के नाम एवं आई.एफ.एस.सी. कोड में एन.ए. लिख गया था। बाद में रेरा अधिनियम की धारा 4 (2)(ठ)(ई) के अनुसार परियोजना का डेडिकेटेड खाता खोला गया है। अतः वेब पेज पर सुधार करने की अनुमति दी जावे। आवेदक द्वारा प्रस्तुत पासबुक बैंक ऑफ इण्डिया बैंक, शाखा बड़नगर, ब्रांच बड़नगर की प्रस्तुत की गई है जिसमें खाता क्रमांक- 911020110000459 है को पोर्टल पर अंकित खाता विवरण के स्थान पर सुधार करने की अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त को छोड़कर शेष वांछित औपचारिकताएं पूर्ण होने से पंजीयन आवेदन मान्य किया जाता है।

2-आवेदक- Tirupati Realities, Ujjain हैं, जो कि पार्टनरशिप फर्म के आवेदक हैं, उनके द्वारा, परियोजना- Tirupati Vista Park, Gram- Chadesra, Tehsil & District- Ujjain का पंजीयन भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदक द्वारा, भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 धारा 4 (2) एवं म.प्र. भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) नियम 3 के अंतर्गत पैरा क्रमांक- 01 में दर्शायी गई कमियों को छोड़कर शेष अपेक्षित परियोजना विवरण, सक्षम प्राधिकारी की प्रतियां एवं शपथ पत्र समर्थित घोषणाएं प्रस्तुत की गई हैं। परियोजना, Gram- Chadesra, Tehsil & District- Ujjain के खसरा क्र. 95/2, 105/1, 106/2 कुल रकबा- 2.080 हेक्टेयर पर प्रस्तावित हैं। पंजीयन अधिकारी की संक्षेपिका अनुसार भूमि आवेदक फर्म के स्वामित्व की है तथा आवेदक फर्म द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र फार्म बी के अनुसार भाररहित है।

3-परियोजना नवीन हो कर भूखण्डीय विकास से संबंधित है जिसमें 2.080 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रुपये 597.47 लाख की लागत से विकसित की जानी हैं, जिसमें 192 भूखण्ड विकसित किये जाने हैं। पैरा क्रमांक- 01 में दर्शायी कमियों को छोड़कर शेष वांछित औपचारिकताएं पूर्ण होने से पंजीयन हेतु विचाराधीन आवेदन अधिनियम की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर स्वीकार किया जाता है। परियोजना की पूर्णता तिथि आवेदन में दर्शाये अनुसार दिनांक 28.02.2024 रहेगी। अधिनियम की धारा 11 एवं नियम 9, 14, 15, 16 में वर्णित सम्प्रवर्तक के कृत्य एवं कर्तव्यों का पालन सम्प्रवर्तक द्वारा किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त पंजीयन निम्न शर्तों के अध्वधीन होगा :-

- (i) सम्प्रवर्तक अधिनियम की धारा 4 (2)(ठ)(ई) के अनुसार आवंटितियों से इस भू-संपदा परियोजना के लिये समय-समय पर वसूल की गई रकमों का 70% निर्माण के खर्चों एवं भूमि की लागत को पूरा करने के लिये अनुसूचित बैंक में पृथक खाता खोला गया है, आवेदक द्वारा प्रस्तुत पासबुक बैंक ऑफ इण्डिया बैंक, शाखा बड़नगर, ब्रांच बड़नगर की प्रस्तुत की गई है जिसमें खाता क्रमांक- 911020110000459 है को पोर्टल पर अंकित खाता विवरण के स्थान पर सुधार करने की अनुमति प्रदान की जाती है। आई.टी. शाखा तदनुसार पोर्टल पर सुधार करे।

आई.टी. ऑपरेटर ऑनलाईन प्रविष्टि करे एवं सचिव प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में अनुवर्ती कार्यवाही की जाये।

(सुरेन्द्र सिंह राजपूत)

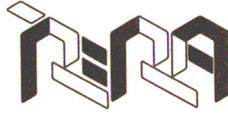
सदस्य

(ए.सी. श्रीवास्तव)

अध्यक्ष

अवर सचिव

म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
भोपाल (म.प्र.)



रेरा भवन, अरेरा हिल, भोपाल, दूरभाष : 0755-2556340, 2556760

Website : www.rera.mp.gov.in, Email id : secretaryrera@mp.gov.in



प्ररूप - ग, नियम 6-(1)

परियोजना का पंजीयन प्रमाण पत्र

यह पंजीयन अधिनियम की धारा -5 के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजना के लिये दिया जा रहा है

पंजीयन क्रमांक : **P-UJN-22-3344**

परियोजना का नाम : **तिरुपति विस्टा पार्क, उज्जैन**

परियोजना का विवरण पता सहित :

1. व्यक्ति के मामले में: श्री/श्रीमती पुत्र श्री/श्रीमती
..... तहसील जिला राज्य

अथवा

फर्म/सोसाइटी/कंपनी/सक्षम प्राधिकारी के मामले में: **तिरुपति रियल्टीज, उज्जैन**

फर्म/सोसाइटी/कंपनी/सक्षम प्राधिकारी, इसका पंजीकृत कार्यालय/व्यापार का मुख्य स्थान **A-3/2, महाकाल वाणिज्य**

केन्द्र, बिहाइंड नहाखेड़ा बस स्टैंड, उज्जैन (म.प्र.)

2. यह पंजीयन निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया गया है:

- संप्रवर्तक आवंटितियों के साथ विक्रय अनुबंध करेगा, जैसा कि मध्यप्रदेश भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के अनुलग्नक-A में प्रविहित किया गया है।
 - संप्रवर्तक अधिनियम की धारा-17 के अनुसार आवंटितगण या उनके संगम के पक्ष में, जैसा भी मामला हो, प्रकोष्ठ या परियोजना के सामान्य क्षेत्रों में अविभाजित अनुपातिक हक सहित हस्तांतरण विलेख निष्पादित करेगा और इसका पंजीकरण करायेगा।
 - संप्रवर्तक अधिनियम की धारा-4 उपधारा-(2) खण्ड (I) उपखण्ड (D) के प्रावधान अनुसार आवंटितगण से वसूली गई रकमों का 70 प्रतिशत, केवल निर्माण के खर्चों एवं भूमि की लागत को पूरा करने के लिये, एक अनुसूचित बैंक में बनाये रखे जाने वाले पृथक खाते में जमा करेगा।
 - पंजीयन दिनांक **10-05-2022** से प्रारंभ होकर दिनांक **28-02-2024** तक की अवधि के लिये विधिमान्य रहेगा, जब तक कि इसे भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा-7 और मध्यप्रदेश भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के नियम-7 के अनुसार नवीकृत न कर दिया जावे।
 - संप्रवर्तक अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों के प्रावधानों का पालन करेगा।
 - संप्रवर्तक, जिस क्षेत्र में परियोजना का विकास किया जा रहा है वहां की अन्य किसी विधि के तत्समय प्रभावी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेगा।
3. यदि संप्रवर्तक ऊपर उल्लेखित शर्तों को पूरा नहीं करता है तो भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण संप्रवर्तक के विरुद्ध अधिनियम, नियमों के प्रावधानों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर सकता है, जिसमें उसे प्रदान किये गये पंजीयन का प्रतिसंहरण भी सम्मिलित किया जा सकता है।
4. उक्त परियोजना प्रकरण भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम की धारा 9,11,14,15 एवं 16 में उल्लेखित प्रावधानों के अधीन मान्य किया जाता है।

दिनांक : **10-05-2022**

स्थान : भोपाल

प्रमाणित अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण